न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—618 / 2026
मनेर थाना कांड संख्या— 69 / 2026

1. विकास कुमार पिता रमेश राय।
साकिन—शेरपुर,थाना—मनेर, जिला—पटना।

—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री प्रफूल रंजन, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

01.06.2026 मनेर थाना कांड संख्या—69 / 2026 धारा—25(1—बी.)ए.,37 शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस नियमित जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक मनेर थाना कांड संख्या—241 / 2022 में भी वांछित है, जिसमें जमानत पर है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक—23.01.2026 से काराधीन है। अभियुक्त को नियमित जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक—22.01.2026 को समय करीब 17.00 बजे संध्या में थाना में प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल सिपाही सुनील कुमार गुप्ता एवं अवनीश कुमार के साथ सरकारी वाहन से अनुसंधान एवं अवैध शराब के विरूद्ध छापामारी हेतु थाना से प्रस्थान किये। समय करीब 18.10 बजे महिनावा बगीचा के पास अवैध शराब के विरूद्ध छापामारी कर रहे थे, उसी क्रम में थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा दूरभाष से सूचना मिला कि शेरपुर बाजार स्थित चंचल मेडिकल के पास ग्रामीणों के द्वारा एक व्यक्ति जो अपने हाथ में हथियार लहरा रहा था, जिसे हथियार के साथ घेरकर पकड़ लिया गया और अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस बल के साथ करीब 18.40 बजे शेरपुर बाजार स्थित चंचल मेडिकल के पास पहूँचे तो देखे कि काफी भीड़ लगा हुआ है तथा दो—तीन व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को पकड़ रखा है। पकड़ने वाले व्यक्ति में से एक व्यक्ति अपना नाम अक्षय कुमार बताया और उनके द्वारा एक देशी कट्टा प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि चंचल मेडिकल के पास थे तो देखे कि एक व्यक्ति देशी कट्टा लहरा रहा है, जिन्हें आसपास के युवकों के सहयोग से घेरकर पकड़ लिया और देशी कट्टा छिना गया, जिसके अंदर गोली लोड नहीं था, जिसकी सूचना पुलिस को दिया, उक्त व्यक्ति द्वारा लोगों में दहशत फेलाने के लिये खाली कट्टा को लहराया जा रहा था। कट्टा लहराने वाले पकड़ाये व्यक्ति

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या–618 / 2026
मनेर थाना कांड संख्या– 69 / 2026

लगातार

01.06.2026

का नाम विकाश कुमार है। भीड़ में से दो व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया गया तो करण कुमार एवं गुलशन कुमार स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार हो गया, उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी नियमों को पालन करते हुये पकड़ाये व्यक्ति विकास कुमार का तलाशी लेने पर विकास कुमार के पास से अन्य कोई समान बरामद नहीं हुआ तथा अक्षय कुमार के द्वारा प्रस्तुत किये गये देशी कट्टा जप्त किया गया तथा प्रस्तुति सह जप्ती सूची पर दोनों स्वतंत्र साक्षी एवं प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुति सह जप्ती सूची की एक–एक प्रति हस्तगत कराते हुये पकड़ाये व्यक्ति विकास कुमार से पूछने पर बताये कि ये कट्टा इनका है, दहशत फैलाने के लिये कट्टा लहरा रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा मुझे पकड़ लिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले अंतरजातीय विवाह किये हैं, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा परेशान किया जा रहा था, इसलिये लोगों में भय बनाने के लिये खाली कट्टा लहरा रहे थे, ताकि लोग परेशान न करे, किसी को हानि पहूँचाने का उद्देश्य नहीं था। अभियुक्त को विधिवत् गिरफ्तार किया व गिरफ्तारी की सूचना इनके परिजनों को दिया गया। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि ग्रामीणों द्वारा अभियुक्त विकास कुमार से देशी कट्टा छिनकर पुलिस के हवाले किया गया है, कोई गोली की बरामदगी भी नहीं है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियुक्त विकास कुमार अंतरजातीय विवाह किये थे, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा परेशान किया जा रहा था, इस कारण अभियुक्त द्वारा भय बनाने के लिये खाली कट्टा लहरा रहे थे, ताकि इन्हें कोई परेशान नहीं करे और कोई आहत भी नहीं है। आवेदक दिनांक–23.01.2026 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काराधीन अभियुक्त विकास कुमार को इस शर्त पर जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि इसतरह का अपराध भविष्य में नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे व एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर मो0 10,000 / –रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।